

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

S/No-101

सं.2010/टेली/15(1)/1

नई दिल्ली, दिनांक 02/01/2013

टेलिकॉम परिपत्र सं. 02/2013

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें

विषय:- एआईओबीसीआरईएफ और एआईएससी/एसटीआरईए के पदाधिकारियों के लिए सीयूजी सुविधा।

संदर्भ: (i) इस कार्यालय का दिनांक 26.03.2009 का पत्र सं. ई(एलएल)2006/पीआरईएम/3

(ii) बोर्ड का दिनांक 30.10.2012 का पत्र सं. 2012-ई(एससीटी)/1/71/11

बोर्ड ने अखिल भारतीय अ.पि.व. रेलवे कर्मचारी फेडरेशन और अखिल भारतीय अ.जा/अ.ज.जा रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए सीयूजी सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विचार किया है। यह विनिश्चय किया गया है कि इन एसोसिएशनों/फेडरेशनों के अध्यक्ष तथा महासचिव को नीचे दर्शाए गए अनुसार सीयूजी सुविधा उपलब्ध कराई जाए:-

| अधिकारी का स्तर | प्लान | अधिकतम मासिक सीमा |
|-----------------|-------|-------------------|
| उच्च स्तर | ए | 1000/- रुपये |
| क्षेत्रीय स्तर | बी | 800/- रुपये |

2. पदाधिकारी को एसोसिएशन के लिए निर्धारित एक अलग सिम उपलब्ध कराया जाएगा भले ही पदाधिकारी को किसी अन्य हैसियत से सरकारी सीयूजी नम्बर उपलब्ध करवाया गया हो क्योंकि कार्य की जिम्मेदारियां भिन्न हैं।
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
4. कृपया पावती दें।



(राकेश रंजन)

निदेशक/ दूरसंचार

दूरभाष 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई मेल: dele@rb.railnet.gov.in


नई दिल्ली, दिनांक 02.01.2013

नई दिल्ली, दिनांक 02/01/2013

सं.2010/टेली/15(1)/1

प्रतिलिपि प्रेषित:

- (i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
- (ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियां सहित)



कृते वित्त आयुक्त/ रेलवे